मो. नवाज बनाम मोडाराम

16-8-15

अभिभाषक उभय पक्ष को पत्रावली पर सुना गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 69/10 के किला नम्बर 4 ता 8, 13 ता 18, 21 ता 25 तादादी 16 बीघा भूमि स्थित है। अपीलांट की खातेदारी भूमि के चिपते ही इस मुरब्बें के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19 व 20 तादादी 9 बीघा भूमि मौके पर खाली है। जिसके मिडियम पेच आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। उक्त रकबे का इकबाल पुत्र नूरमोहम्मद ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोडाराम के फर्जी अंगूठा निशानी करते हुए आराजी जैर अपील का आवंटन करवाया गया है। जिस पर आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन कब्जे के अभाव में स्वतः ही खारिज योग्य है। आवंटन अधिकारी के समक्ष तमाम कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई है। आराजी जैर का आवंटन फर्जी अंगूठा निशारी करते हुए भू–माफिया लोगों द्वारा दिनांक 09–02–1976 को करवाया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 27–06–1980 को आवंटन के चार वर्ष उपरान्त कब्जा दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर भी मोडाराम के फर्जी हस्ताक्षर है। जबकि वास्तवकि स्थिति यह है कि मौके पर आज दिनांक को भी अपीलांट का कब्जा काश्त है। यदि मौके से अपीलांट को बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के चिपते मुरब्बें में निहित है ऐसीस्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में साबित है। अतः अपीलांट के पक्ष में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05–07–2009 को अपील के निर्णय तक कन्फर्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 69/10 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19 व 20 तादादी 9 बीघा कमाण्ड रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 09–02–1976 को आवंटित की गई थी तभी से लेकर आज दिनांक तक उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में भी मौके पर गवाह कर फसल खड़ी है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन के पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा चुके है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। अपीलांट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील में जो तथ्य प्रस्तुत यि गये है उनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गा तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करते हुए कथनं किया गया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 610–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 69/10 के किला नम्बर 4 ता 8, 13 ता 18, 21 ता 25 तादादी 16 बीधा भूमि स्थित है। अपीलांट की खातेदारी भूमि के चिपते ही इस मुरब्बें के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19 व 20 तादादी 9 बीघा भूमि मौके पर खाली है। जिसके मिडियम पेच आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है।

प्रकरण में अपीलांट केवल पड़ौसी खातेदार की हैसियत से मिडियम पेच आावंटन का पात्र मानकर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी अधिकारों को चुनौती दे रहा है। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। ऐसीस्थिति में अपीलांट का विवादित भूमि से प्रथम दृष्टया कोई हित नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील के माध्यम से जिस आवंटन को चुनौती दी गई है वह आवंटन के करीब 40 वर्ष पुराना है। अपीलांट यदि उक्त भूमि को बतौर मिडियम पेच आवंटन कराना चाहता था तो रेस्पोडेन्ट के आवटन के तत्काल बाद अपील करनी चाहिए थी। अपीलांट द्वारा आवंटन के तत्काल पश्चात् किसी प्रकार की कोई चाराजोई सक्षम न्यायालय में उपस्थित होकर नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर होने व अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो ।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner